

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपूर।

कमांक:- एफ2(3)लागत / 1019-A/ **२** (५ ०

दिनांकः 02/08/13

-: कार्यालय आदेश ::--

राजस्थान आवासन मण्डल की 216 वीं बैठक दिनांक 16.8.2012 के विचार बिन्द संख्या 216.36, 216.37, 216.38 एवं 216.40 पर लिये गये निर्णयानुसार मण्डल में प्रचलित ''लागत सिद्वान्त 2010'' के बिन्दु संख्या 16, 22 एवं 6.1 से 6.11 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

मण्डल कार्यालय आदेश कमांक कं

सं. लागत/2010-11/1019/ 122 दिनांक 01.6.2010 मण्डल बैठक सख्या 210.20

01 बिन्दू संख्या 16:-

be as follows:

- (i) Houses 18 months
- (ii) Flats 30 months.

The interest on construction of property will be added for half of the project period or half of the actual period of construction whichever is more.

NOTE:

- 1. Stage of construction in case of houses disposed of an 'as is where is basis' will have to be indicated to work-out the prorata basic ceiling cost.
- 2. In case of cost over runs, interest at the proportionate cost and period as worked out in proportion to the total cost and total project period shall be recovered. 1hr

निर्णय मण्डल बैठक 216 दिनांक 168,2012

216.36 नव निर्मित आवासों पर निर्माण Project period for houses / flats will पश्चात ब्याज लेने के सम्बन्ध निर्णय:-पूर्ववत प्रावधानों के साथ:-

- 01. नवनिर्मित आवासों में निर्माण अवधि का पुरा निर्धारित ब्याज लिया जावेगा। उसके पश्चात कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 02. आधिक्य एवं पूर्व वर्षों के बने हुये वे आवास जो किन्ही कारणों से आवंटित नहीं हो सके उनकी लागत निर्धारण में निर्धारित ब्याज दर लागू की जावेगी।

COMMERCIAL 22. 02 **PROPERTY** (SHOPS AND KIOSKS)

22.1 The reserve price for commercial property shall be worked out in the same way as that for residential property except that:

- The cost of developed commercial land shall be four times that of the residential property on the logic that normally 40% of such land is saleable and the rest has to be left for circulation, open spaces, parking etc.
- The rate of interest to be added on construction cost shall be as notified by the Board.
- (c) Interest shall be added for half of the project period or half of the actual period of construction whichever is more.
- (d) Administrative charges at 15% shall be added.
- CER at 10% shall be added.
- 22.2 The reserve price shall be valid up to 30th June.

03 लागत / 1019 / 354 दिनांक 29.9. 2011

214वीं बैठक दिनांक 09.9.2011 बिन्दु संख्या 16:–

INTEREST APPLICABLE DURING CONSTRUCTION / DEVELOPMENT OF LAND

- (i) Single storey / duplex houses -24 months
- (ii) Flats - 36 months The interest on construction of property will be added for half of the above project period or actual project period whichever is less, assuming that expenditure so incurred has been made gradually. Project period for houses / flats will
- (i) Houses 18 months

be as follows:

(ii) Flats 30 months.

The interest on construction of property will be added for half of the project period or half of the actual period of construction whichever is more.

216.37 मण्डल द्वारा निर्मित दुकानों की लागत के संबंध में:--

मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में वाणिज्यिक भूखण्ड, निर्मित दुकान एवं पेट्रोल पम्प, सिनेमा और होटल के भूखण्ड़ की विकसित भूमि दर रिहायशी भूमि की विकसित भूमि दर की चार गुणा होगी। आवॅटन छत के अधिकार समेत किया जावेगा।

यह नियम आगे के आवॅटन पर लागू होगा। पूर्व के आवॅटन में छत का अधिकार लेने के लिये रिहायशी भूमि की वर्तमान विकसित भूमि दर की आठ गुणा जमा करानी होगी।

कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3) 216.38 निर्माण अवधि के सम्बन्ध में:-लागत सिद्धान्त 2010 के बिन्दू संख्या 16 वं

Project period of houses' flats would be as follows:

सरलीकरण हेत् इस प्रकार निर्देशित किया

- (i) Houses 18 months
- (ii) Flats 30

Interest on construction would be charged for the full construction period as per the applicable rates. No interest would be chargeable for any delay incurred for what soever reason.

NOTE:

- 1. Stage of construction in case of houses disposed of an 'as is where is basis' will have to be indicated to work-out the prorata basic ceiling cost.
- 2. In case of cost over runs, interest at the proportionate cost and period as worked out in proportion to the total cost and total project period shall be recovered.
- कार्यालय आदेश कमांक एफ2(3) 216.40 आरक्षित दर के सम्बन्ध में-04 पर उपरिव्यय, (2) बिन्दू संख्या 05 की दर से देय होगी। आवास की आरक्षित दर भूमि की आरक्षित दर की 1/1/4 गुणा एवं उपरिव्यय लागत सिद्वान्त-2010 के बिन्दू संख्या 6.11 (स) के अनुसार संस्थानिक भूमि की आरक्षित दर भूमि की आरक्षित दर की डेढ़ गूणा एवं उपरिव्यय सहित निर्धारित की जाती है
 - 6.11 The rate of developed land applicable to residential, institutional and commercial property will be as follows:
 - On residential land: the (a) rate of developed land worked out according to clause 6.2 to clause 6.4.
 - On commercial land: the (b) cost of developed land shall be four times that applicable residential land on the reasoning given under clause 6.1(c).
 - On institutional land: the cost of developed land shall be 1.5 times that applicable on land residential <u>on the</u> <u>reasoning</u> given in

लागत / 1015 / 44 दिनांक 11.4. आवासीय भूखण्ड़ों एवं प्लींथ स्तर के 1996 के बिन्दू संख्या 03 के आवासों के सम्बन्ध में लीज राशि आवासीय अनुसार (1) स्ट्रिप ऑफ लैण्ड की आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक तथा आरक्षित दर की गणना भूमि की व्यवसायिक एवं संस्थानिक भूखण्ड के लिये आरक्षित दर की दो गुणा एवं उस निर्धारित आरक्षित दर 05 प्रतिशत वार्षिक

के अनुसार आवासीय भूखण्ड की व्यवसायिक एवं संस्थानिक भूखण्ड़ों के आरक्षित दर भूमि की आरक्षित दर मामलों में प्रथम 05 वर्ष तक 2.5 प्रतिशत की 02 गुणा एवं उपरिव्यय, एवं लीजराशि ली जावेगी। व्यवसायिक या (3) कार्यालय आदेश कमांक एफ2 संस्थानिक भूखण्ड़ों के मामले में यदि आवंटी (3)लागत / 1018-V / 153 दिनांक प्रथम 05 वर्षे के पूर्व 01 मुश्त राशि जमा 21.6.2002 के अनुसार प्लिंथ कराना चाहेगा तो उसे पूर्व दर 05 प्रतिशत की दर से ही लीजराशि जमा करानी होगी।

(amprile)

6.1(c). In case of corner plots, 25 per cent additional cost will be charged on the institutional rates. 25% overheads on the price of land allotted for institutional purpose will be added to account for direct costs.

यह आदेश दिनांक 06.06.2013 से प्रभावी होगा।

(डॉ. आर.वैकटेश्वरन) आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१— निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ॰म॰, जयपुर।

(4)

- 2— मुख्य अभियन्ता / सचिव, रा आ म , जयपुर ।
- 3- अति•मु॰ अभियन्ता, प्रथम ∕ तृतीय एवं अध्यक्ष अवसायन समिति, रा•आ•म•, जयपुर।
- 4- अति.मुं अभियन्ता, द्वितीय, रा आत्मः, जोधपुर / OSD/CEM/ जयपुर।
- 5— उप आवासन आयुक्तं, वृत्त-1/1/111. जवपुर/ओधपुर -1/11/ उदयपुर/कोटा/ अलवर/ बीकानेर।
- <u>६ उप निदेशक, विशलेष्क कम प्रोग्नामर, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राःआःमः, जयपुर।</u>
- 7— आवासीय अभियन्ता, खण्ड-I/IP/IP/V/V/VII/VIII/IX/X/XI/XII/XIII, राज्आन्म, जयपुर / PHE-I/II. प्रथपुर / जोधपुर-I/II/III / उदयपुर-I/II/विद्युत खण्ड, प्रथपुर / अजमेर / भिवाईः / भरतपुर / झुन्झून् / झुंगरपुर / जैसलमेर / नागौर / दीवानंत्र / कोटा / अलगर / गार्थ / गांग विद्याप्त्रमान्य / जिसीकाव ।
- ६— सहायक लेखाधिकारी वृत्त । १६६६), १८५५४ जोधपुर न १४४४ कोटा / अलवर / बीकानेर।
- ९-- सम्बन्धित पत्रावली।
- 10- रक्षित फाईल।

(डी.सी.चौधरी) वित्तीय सर्लोहकार